

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

संकल्प

विषय:- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, प्रखण्ड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय में दो वर्षीय प्रशिक्षण (डिप्लोमा इन एलिमेन्टरी एडुकेशन) कोर्स में प्रशिक्षुओं के नामांकन के संबंध में निर्गत संकल्प संख्या-463/12.09.2013, संकल्प संख्या-224/22.04.2014, संकल्प संख्या-414/16.07.2014 एवं संकल्प संख्या- 12/प्रशिक्षण-89/2007-204 पटना दिनांक-19.06.2008 द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका में संशोधन।

सरकार के संकल्प संख्या-463 दिनांक-12.09.2013, संकल्प संख्या-224 दिनांक-22.04.2014, संकल्प संख्या-414 दिनांक-16.07.2014 के आलोक में पूर्व में अप्रशिक्षित कार्यरत प्रारंभिक शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया गया था एवं सभी सरकारी प्रारंभिक स्तरीय प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन का आधार TET परीक्षा के प्राप्तांक रखा गया।

परन्तु अब नये परिप्रेक्ष्य में सरकारी अप्रशिक्षित शिक्षक ODL के माध्यम से NIOS द्वारा प्रशिक्षित किये जा रहे हैं इन अप्रशिक्षित शिक्षकों को 31 मार्च 2019 तक प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। अतः सत्र 2018-20 से सरकार द्वारा पूर्व में निर्गत संकल्प संख्या-204 दिनांक-19.06.2008 में निर्धारित चयन की शर्तों को निम्नलिखित संशोधन के साथ लागू किया जाता है-

- (क) नामांकन हेतु सामान्य अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता इंटर/+2 में 50 प्रतिशत अंको की होगी तथा अनु०जाति/जन जाति/निशक्त: के लिए 5 प्रतिशत छूट होगी।
- (ख) NCTE द्वारा कुल सीट का 3 प्रतिशत निशक्त अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा तथा 10 प्रतिशत उर्दू विषय के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा। निशक्त: एवं उर्दू विषय के अभ्यर्थियों के लिए क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण लागू होगा। परन्तु उर्दू विषय के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत सीट ही क्षैतिज रूप से आरक्षित रहेगी।
- (ग) सीट का 50 प्रतिशत विज्ञान तथा 50 प्रतिशत कला/वाणिज्य अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा।

नामांकन में आरक्षण- नामांकन में राज्य के आरक्षण नियम का पालन किया जायेगा तथा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार/सामान्य प्रशासन विभाग के वर्तमान में प्रभावी नियम/परिनियम आदि का पालन आवश्यक होगा।

चयन का आधार- नामांकन हेतु चयन का आधार दसवीं एवं बारहवीं कक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों का प्रतिशत होगा। दोनों कक्षाओं में प्राप्त प्राप्तांकों के प्रतिशत का औसत निकालते हुए नामांकन हेतु मेधा सूची का निर्माण कोटिवार किया जायेगा। प्राप्तांकों के प्रतिशत का औसत समान रहने पर अधिक योग्यताधारी अभ्यर्थी को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी। प्राप्तांकों के प्रतिशत का औसत एवं योग्यता समान रहने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।

उम्र सीमा— नामांकन हेतु उस वर्ष की पहली तारीख को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 17 वर्ष होगी तथा आयु की अधिकतम सीमा नहीं रखी जाएगी।

इस परिप्रेक्ष्य में संकल्प संख्या—संकल्प संख्या—463 दिनांक—12.09.2013, संकल्प संख्या—224 दिनांक—22.04.2014, संकल्प संख्या—414 दिनांक—16.07.2014 एवं संकल्प संख्या—12/प्रशिक्षण—89/2007—204 पटना दिनांक—19.06.2008 द्वारा निर्गत नामांकन संबंधी मार्गदर्शिका को यथासंशोधित समझा जाय।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रतिलिपि सभी पदाधिकारियों को प्रेषित की जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/—
(अरशद फिरोज)
उप सचिव।

ज्ञापांक—12/प्रशि—01/2016.....

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि— प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/अपर सचिव, शिक्षा विभाग/राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक अभियान/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, उच्च शिक्षा/निदेशक (प्रशासन)—सह—अपर सचिव/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षा परिषद्, पटना/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/—
उप सचिव।

ज्ञापांक—12/प्रशि—01/2016.....

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि— सभी प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, प्रखण्ड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/—
उप सचिव।

ज्ञापांक—12/प्रशि—01/2016.....

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि—क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा संस्थान, 15नीलकंठ नगर, नयापल्ली, भुवनेश्वर—751012 (उड़ीसा) को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/—
उप सचिव।

ज्ञापांक— 12/प्रशि—01/2016.....

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि— अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि 500 प्रतियाँ प्रकाशित कर उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/—
उप सचिव।

ज्ञापांक—12/प्रशि—01/2016.....136

पटना, दिनांक...04/04/2018

प्रतिलिपि—आई०टी०मैनेजर, शिक्षा विभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

उप सचिव। 4/4/18